

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

मिसल संख्या :- 311/2022

निर्णय दिनांक :- 28/6/2022

उनेवानी प्रार्थना पत्र :-

1. गणराज पुत्र अम्बालाल जाति कुमावत निवासी भगवानपुरा पोस्ट मालेडा तहसील जिला टोंक राज0
2. गुलाबी पुत्री लादू पत्नी लालाराम जाति कुमावत हाल निवासी मानखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर राज0
3. गौरी देवी पत्नी लादू जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0
4. घीसी देवी पुत्री लादू पत्नी छगनलाल जाति कुमावत हाल निवासी नयागांव (बघेरा) तहसील केकडी जिला अजमेर राज0
5. छीतरमल पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0
6. पांच्या पुत्र श्रीकिशन जाति कुमावत निवासी भगवानपुरा पोस्ट मालेडा तहसील जिला टोंक राज0
7. बिरधीचंद पुत्र श्रीकिशन जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0
8. भंवरी पत्नी जमनालाल जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0
9. रूगनाथ पुत्र श्रीकिशन जाति कुमावत निवासी भगवानपुरा पोस्ट मालेडा तहसील जिला टोंक राज0
10. रामफूल पुत्र जमनालाल जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0
11. रामस्वरूप पुत्र जमनालाल जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0
12. सन्तोक देवी पत्नी अम्बालाल जाति कुमावत निवासी भगवानपुरा पोस्ट मालेडा तहसील जिला टोंक राज0
13. सुशिला पुत्री जमनालाल पत्नी कालूराम जाति कुमावत हाल निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
14. सावित्री पुत्री अम्बालाल पत्नी सुरेश जाति कुमावत हाल निवासी समेलिया तहसील सरवाड जिला अजमेर राज0
15. सावरा पुत्र अम्बालाल जाति कुमावत निवासी भगवानपुरा पोस्ट मालेडा तहसील जिला टोंक राज0

16. -प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला-टोंक (राज.)

-अप्रार्थी पक्ष-

उपस्थित :-


श्री राजकुमार कोठारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश


पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 418 ख0नं0 417 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला-टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व



कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पड़ोसी खातेदारो से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 में दर्ज आराजी खाता संख्या 418 ख0नं0 417 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला-टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली